



गोपित

16

न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 गवालियर

प्रकरण क्रमांक / 2014 पुनराविलोकन फैशब्द 152) ॥८॥

श्री एम्पॉर्ट के अधिकार
द्वारा आज दि 16/5/14 को
प्रस्तुत

४ कर्क औफ कोट 16/5/14
राजस्व मण्डल म0प्र. गवालियर

10-50 क्र
810 रु
16-5/14

शास्त्री प्रभारी (रा.नं.)
शास्त्री प्रभारी (रा.नं.)

मिन्हू पुत्र स्व0 श्री रामकिशन अहिरवार
निवासी— ग्राम पीरा, तहसील राजनगर,
जिला छतरपुर, म0प्र0 —— आवेदक

बनाम

- रजिया उर्फ रज्जीबाई पुत्री श्री रामकिशन अहिरवार बेवा स्व0 श्री अदररुद्या अहिरवार निवासिनी— ग्राम पीरा तहसील राजनगर, जिला छतरपुर, हाल निवासी— ग्राम परा, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर, म0प्र0
- हिरिया पुत्री श्री रामकिशन अहिरवार निवासिनी— ग्राम पीरा तहसील राजनगर, जिला छतरपुर, हाल निवासिनी— ग्राम ललगुवा, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर, म0प्र0
- शांति पुत्री श्री रामकिशन अहिरवार निवासिनी— ग्राम पीरा तहसील, राजनगर, जिला छतरपुर, हाल निवासी— ग्राम परा, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर, म0प्र0
- म0प्र0 शासन —— अनावेदकगण

पुनराविलोकन (रिव्यू) आवेदन अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांकी 6/5/2014 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य महोदय राजस्व मण्डल म0प्र0 गवालियर के प्रकरण क्रमांक 919/14 व उनवान मिन्हू बनाम रजिया आदि

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 1527—तीन / 14

जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13.1.2015	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री एस0के0श्रीवास्तव उपस्थित। उन्हें रिव्यु प्रकरण की ग्राह्यता पर सुना गया। यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 919—तीन / 14 में पारित आदेश दिनांक 6—5—14 के विरुद्ध म0प्र0भू—राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>2— आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :—</p> <p>1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी।</p> <p>2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।</p> <p>3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण।</p> <p>आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। आवेदक सूचित हों।</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p>	